भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1546

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 09 फरवरी, 2026/ 20 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

आयकर सीमा में वृद्धि के लाभार्थी

1546. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई है;
(ख) यदि हां, तो नई सीमा और प्रभावी तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) आयकर सीमा में वृद्धि से लाभान्वित होने वाले करदाताओं की अनुमानित संख्या और सरकार के राजस्व पर इसके संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): आयकर स्लैब और दरों को वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित किया गया और उदार बनाया गया और वे वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद के वित्तीय वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की आय पर सभी करदाताओं पर लागू होते हैं जो करदाता आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115बीएसी(1ए) के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।

वित्त अधिनियम, 2025 के तहत में निवासी व्यक्तियों के लिए नई कर व्यवस्था कर छूट बढ़ा दी गई है, ताकि यदि उनकी कुल आय ₹12,00,000 तक है तो उन्हें कोई कर नहीं देना पड़े। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत पहले दी जाने वाली सीमांत राहत ₹12,00,000 से थोड़ी-सी अधिक आय पर भी लागू होगी।

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती उपलब्ध है। इसलिए यदि वेतनभोगी व्यक्तियों की कुल सकल आय ₹12,75,000 तक है, तो उन्हें कर नहीं देना पड़ता है।

स्लैब की दरों का विवरण इस प्रकार है और यह निर्धारण वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगा:

कुल आय (₹ में)	**निर्धारण वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 115बीएसी के तहत कर की दर(%)**
4,00,000 तक	शून्य
4,00,001 से 8,00,000 तक	5
8,00,001 से 12,00,000 तक	10
12,00,001 से 16,00,000 तक	15
16,00,001 से 20,00,000 तक	20
20,00,001 से 24,00,000 तक	25
24,00,000 से अधिक	30

उपर्युक्त स्लैब संरचना सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। निवासी व्यक्तियों को 12 लाख रुपये तक की पूरी छूट प्रदान की गई है। 12,70,588 रुपये तक की कुल आय पर सीमांत राहत प्रदान की जाती है। इसके बाद उपर्युक्त स्लैब के अनुसार गणना किए गए करों का पूरा भुगतान करना होगा।

(ग): चूंकि कुल आय पर छूट के साथ-साथ स्लैब दरों में संशोधन किया गया है, इसलिए नई कर व्यवस्था में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सात लाख रुपये से अधिक आय वाले सभी करदाताओं को आयकर सीमा में वृद्धि से लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व परित्यक्त हो जायेगा।

*****